संख्या-36/2016/769/35-3-2016-1(34)/2015

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

जिलाधिकारी,
बहराइच।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ:दिनांक 30 मार्च, 2016**

विषय: वर्ष 2015-16 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के खेलकूद परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह की कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद-बहराइच की निम्नलिखित परियोजनाओं हेतु रू 33.35 लाख (रू. तैतीस लाख पैतीस हजार मात्र) की लागत सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये उनके लिये प्रथम किश्त के रूप मे रू 30.01 लाख (रू. तीस लाख एक हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है।

(धनराशि लाख रू. मे)

विकास खण्ड का नाम	क्र.स.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त के रूप मे अवमुक्त की जा रही धनराशि
कार्यदायी संस्था-युवा कल्याण				
मिहीपुरवा	1.	खेल कौशल वृद्वि शिविर आयोजन	23.48	21.13
नबाबगंज	2.	खेल कौशल वृद्वि शिविर आयोजन	9.87	8.88
योग			**33.35**	**30.01**

1- अवमुक्त धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा परियोजनायोजना पर किया जाने / कृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा ।य स्वीवाला व्य

2- स्वीकृत कार्य को प्रारम्भ करने के लिये अधिकृत कार्यदायी संस्था को शीध्र कार्य- आदेश निर्गत किया जायेगा, जिसके साथ अनुमोदित आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) की एक प्रति कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी ।

3- **कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य-योजना में सम्मिलित है ।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2015 बी-1-925/ दस-2015-231 / 2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या-36/2016/769(1)/ 35-3-2016-1(34)/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग , उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, खेलकूद विभाग , उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद ।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी, बहराइच ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) देवीपाटन मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, बहराइच ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।